प्रेस नोट संख्या 22
दिनांक 12.09.2024
सराहनीय कार्य थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी
पुलिस मुठभेड़ में हत्या का प्रयास करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2024 को श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आपके थाने के वांछित जिन्होनें 03-04 दिन पहले ग्राम धरौली में सुशील कुमार सिंह को धमकाया था व फायरिंग किये थे आज भी असलहा के साथ ग्राम धरौली जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा मोइनुद्दीनपुर पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग की जाने लगी तभी रसूलाबाद की ओर से 01 मोटरसाइकिल आती दिखायी दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार 01 व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया जोकि का0 रूपेश यादव के पास से होकर निकल गई । आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर करने पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई । मोटरसाइकिल के पास जाकर देखा गया तो 01 व्यक्ति के बायें पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरा हुआ था एवं 01 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पकड़कर कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। घायल अभियुक्त से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संदीप यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी ग्राम ककरहिया मजरे घुसवरिया थाना बन्धुवाकला जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 25 वर्ष बताया । उक्त अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP44BC8312 के कागज मांगने पर दिखा न सका ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै व मेरा साथी लकी यादव पुत्र सुरेश चन्द्र यादव निवासी अशरफपुर थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर हम दोनों आज थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 104/22 के वादी सुशील कुमार सिंह के यहां ग्राम धरौली, न्यायालय में गवाही न देने के संबन्ध में धमकाने हेतु जा रहे थे। इसी संबन्ध में हमलोग दिनांक 08/09.09.2024 को भी सुशील कुमार सिंह के घर पर जाकर धमकाये थे एवं फायरिंग किये थे। घायल अभियुक्त को 108 एम्बुलेंस से इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

- मोइनुद्दीनपुर पुलिया बाग के पास से, दिनांक 12.09.2024, समय करीब 01:30 बजे रात्रि में।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- संदीप यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी ग्राम ककरहिया मजरे घुसवरिया थाना बन्धुवाकला जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

- लकी यादव पुत्र सुरेश चन्द्र यादव निवासी अशरफपुर थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 204/24 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 201/24 धारा 131, 351(3), 352, 109 बी0एन0एस0 थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी। (वांछित)
3. अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP44BC8312। (धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 घनश्याम यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 राजेश श्रीवास्तव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. का0 सुघर सिंह यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
6. का0 रूपेश यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
7. का0 वंशवहादुर यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 335/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 27/20 धारा323, 504, 506 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 104/22 धारा 147,148,149,34,302,323,504,506,427 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 153/24 धारा 55 बी0एन0एस0 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 200/24 धारा 333, 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।